न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 56 / 2017

मूंगाराम दत्तक पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम सिगडोला छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज॰)
2. सुरजाराम पुत्र गीदाराम
3. सुखाराम पुत्र गीदाराम
4. गणपतराम पुत्र पेमाराम
5. सोहनलाल पुत्र मूलाराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सिगडोला छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी ग्राम सिगडोला छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–:निर्णयः–

दिनांक–25.05.2018

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 3.02 हैक्टेयर बारानी तृतीया वाके ग्राम सिगड़ोला छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें से 2.8718 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी व 0.1482 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम से दर्ज जिसके नवसृजित खसरा नम्बर 441 / 1 रकबा 2.8718 हैक्टेयर 441 / 2 रकबा 0.1482 हैक्टेयर है।

यह कि आराजी खसरा संख्या 268 रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के पिता स्व. गणपतराम ने 0.14 हैक्टेयर भूमि में से एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संलग्न नक्शे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 पक्ष में दिनांक 28.04.2011 के उपपंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के यहां करवाया था। यह कि विक्रय–पत्र दिनांक 28.04.2011 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पक्ष में खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 20.06.2011 को दर्ज हो चुकी है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 राजस्व अधिकारियों से साज कर प्रार्थी को नुकसान पहूँचाने की गरज से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से ज्यादा का सर्वेशीट में इन्द्राज करवा लिया जिसका अप्रार्थीगण को कानून कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 उक्त गलत प्रविष्टी के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी में अधिक भूमि पर जबरन कब्जा कर मौके पर पत्थर इत्यादि डालकर जबरन कब्जा करना चाहते है।

यह कि आवेदक के पिता स्व. गणपतराम ,द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के पक्ष में किये गये विक्रय–पत्र में संलग्न नक्शें में दी गई भूमि खसरा संख्या 271 की उत्तरी पश्चिमी कोने से भूमि होकर खसरा संख्या 267 की उत्तरी सीमा के सहारे सहोर 16 फिर चौड़ा व 997 फिट लम्बाई की भूमि का विक्रय–पत्र तहरीर करवाया गया था। जिसका रकबा 0.1482 हैक्टेयर है।

यह कि अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विक्रय–पत्र से अधिक भूमि का इन्द्राज नक्शें में अलग से करवा लिया है। जिससे प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा कम होता है। राजस्व कर्मचारियों को विक्रय – पत्र के विपरीत नक्शे में ज्यादा रकबे का तरमीम किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

यह कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नक्शें में दुरुस्ती करवाने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपने क्षैत्राधिकार में नहीं होने तथा माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने के कारण दुरुस्ती करने से इन्कार करने के कारण दुरुस्ती करने से इन्कार करने के कारण माननीय न्यायालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि भूमि खसरा संख्या 268 / 2 पुराना में मुताबिक विक्रय–पत्र 16 फिट चौड़ाई व 997 फिट लम्बाई में अधिक की गई तरमीम को विलोपित (दुरुस्त) किया जाना एवं नवसृजित खसरा नम्बर 441 / 2 रकबा 0.1482 हैक्टेयर की तरमीम मुताबिक विक्रय किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। यह कि आवेदन उचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। यह कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। यह कि अन्य तर्क वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 268 की सर्वेशीट में 268/2 के रुप में विक्रय–पत्र से अधिक भूमि की गई तरमीम को विलोपित किये जावे एवं नवसृजित खसरा संख्या 441/2 की तरमीम मुताबिक विक्रय–पत्र सर्वेशीट में तरमीम किया जाने के ओदश प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया व प्रकरण दुरूस्ती का होने से प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। जिस पर तहसरीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पखवली किया गया। प्रकरण में अनावेदकगण सं. 5 व 6 कि ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित आकर जवाब आवेदन, आवेदन बाबत अबेट किये जाने बाबत व सूची दस्तावेजात आदि पेश किये। जारी सम्मन नोटिस आदि का अवलोकन से अनावेदकगण सं. 2 ता 4 के फौत होने संबंधी रिपोर्ट तामील से हुई। प्रकरण में आवेदक अभिभाषक कि ओर से अनावेदकगण सं. 2 ता 4 के फौत होने पर प्रार्थना–पत्र कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष से दिनांक 20.03.2018 को सुनी गई। पचावली आदेश में थी इसी दौरान पत्रावली आज पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प रूल्याणा माली में पेश हुई। उभयपक्ष से सुनी गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट आदि का भी गहनता से अवलोकन किया। कैम्प स्थल पर मज्मे–आम व सरपंच, ग्राम पंचायत से भी प्रकरण के बारे में पूछताछ आदि की गई। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद आवेदक का आवेदन तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिगड़ोला छोटा में अवस्थित वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा संख्या 268 की सर्वेशीट में 268/2 के रुप में विक्रय–पत्र से अधिक भूमि की गई तरमीम को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नवसृजित खसरा संख्या 441/2 की तरमीम मुताबिक विक्रय–पत्र सर्वेशीट में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कैम्प रूल्याणा माली में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणा माली